न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 131/2007

1 पुर्णाराम उम्र 47 साल जाति नायक
2 कानाराम उम्र 52 साल जाति नायक पुत्रगण स्व. आशाराम निवासीगण निराधनु तहसील व जिलां झुन्झुनू।
3 मनीराम पुत्र स्व. आशाराम जाति नायक निवासी निराधनु तहसील व जिला झुन्झुनू। (मृतक)
3/1 रतनी देवी उम्र 70 साल पत्नी स्व. मनीराम
3/2 हरिराम उम्र 50 साल पुत्र स्व. मनीराम
3/3 सुरेश उम्र 35 साल पुत्र स्व. मनीराम
3/4 राजु उम्र 33 साल पुत्र स्व. मनीराम
3/5 मीरा उम्र 48 साल पुत्री स्व. मनीराम
3/6 सुमित्रा उम्र 46 साल पुत्री स्व. मनीराम
3/7 सावित्री उम्र 44 साल पुत्री स्व. मनीराम
जाति नायक निवासीगण निराधनु तहसील व जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सागर उम्र 52 साल जाति नायक पुत्र स्व. सुरजाराम
2 बनवारीलाल उम्र 49 साल जाति नायक पुत्र स्व. सुरजाराम
3 जुगल उम्र 47 साल जाति नायक पुत्र स्व. सुरजाराम
4 विद्याधर उम्र 37 साल जाति नायक पुत्र स्व. सुरजाराम निवासीगण निराधनु तहसील व जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2007
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू पीठासीन
अधिकारी डॉ. भागचन्द बधाल आरएएस मुकदमा
उनवानी पूर्णाराम वगै. बनाम सागर वगैरह मुकदमा
संख्या 22/2006 दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्त करने
रिकॉर्ड व बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री महेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 29.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा 22/2006 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम निराधनु तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि स्थिति है। जिसको वाद—पत्र में दर्शित किया गया है। उक्त कृषि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भूमि स्व. खेताराम की जमीन थी, स्व. खेताराम के दो लड़के थे। नन्दाराम व आशाराम। जो संयुक्त रूप से कृषि भूमि को काश्त करते थे। नन्दाराम परिवार में बड़ा था तथा कर्ता खान–दान था, इसलिए विवादित जमीन रेवेन्यू रिकार्ड में नन्दाराम के नाम से खातेदारी में दर्ज हो गई। नन्दाराम के देहान्त के पश्चात नन्दाराम के एक मात्र पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज हो गई एवं सुरजाराम की मृत्यु के पश्चात विवादित जमीन रेस्पोडेन्ट के नाम से दर्ज हो गई। लेकिन मौके पर सन् 1999 से लेकर आज तक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है तथा वर्तमान में संयुक्त कब्जा है। गिरदावरी संवत 2009 से लेकर 2023 तक में भी संयुक्त कब्जा अंकित है। उक्त जमीन के संबंध में वाद–पत्र बाबत घोषणार्थ दुरूस्त करने रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 17.02.2007 को राजीनामा प्रस्तुत हुआ। उक्त राजीनामा नियमानुसार तस्दीक किया गया। राजीनामा तस्दीक होने के पश्चात प्रिजाईडिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद श्री भागचन्द बधाल आरएएस एसडीओ बनकर आये। जिन्होंने मुकदमे का बिना सुनवाई का मौका दिये दिनांक 30.06. 2007 को खारिज करते हुए डिक्री बनाई है। इससे व्यथित होकर यह अपील यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य है जो संयुक्त रूप से जमीन को काश्त करते है। गिरदावरी संवत 2009 से लेकर संवत 2023 तक प्रस्तुत की, जिसमें संयुक्त कब्जा साबित है जो गलती से रिकार्ड में कर्ता खान–दान के नाम से चढ़ गया है। जिसको दुरूस्त करने के लिए किसी को आपत्ति नहीं है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। जिसको पूर्व प्रिजाईडिंग ऑफिसर ने तस्दीक किया है। उक्त राजीनामें के आधार पर डिक्री पारित न कर कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने खसरा गिरदावरी संवत 2009 से लेकर 2023 तक जो रिकार्ड पेश किया है उस पर गौर नहीं किया है जिसमें यह साबित है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि हैं तथा पैतृक भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। वाद–पत्र में दर्ज तथ्य पक्षकारान द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

स्वीकृत तथ्य है। स्वीकृत तथ्यों को न माने जाने का कोई कारण नहीं है। कानून के अनुसार भी जो तथ्य स्वीकृत कर लिये जाते है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया। सिविल एवं रेवेन्यू कोर्ट में तथ्य साबित करने के लिए प्रिबोडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत लागु होता है। उक्त सिद्धांत को समझने में विचारण न्यायालय ने गलती की है। विचारण न्यायालय ने केवल इस आधार पर दावा खारिज कर दिया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बिसाऊ को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा बिसाऊ इस मामले में आवश्यक पक्षकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य है जो संयुक्त रूप से जमीन को काश्त करते है। गिरदावरी संवत 2009 से लेकर संवत 2023 तक प्रस्तुत की, जिसमें संयुक्त कब्जा साबित है जो गलती से रिकार्ड में कर्ता खान–दान के नाम से चढ़ गया है। जिसको दुरूस्त करने के लिए किसी को आपत्ति नहीं है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। जिसको पूर्व प्रिजाईडिंग ऑफिसर ने तस्दीक किया है। उक्त राजीनामें के आधार पर डिक्री पारित न कर कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने खसरा गिरदावरी संवत 2009 से लेकर 2023 तक जो रिकार्ड पेश किया है उस पर गौर नहीं किया है जिसमें यह साबित है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि हैं तथा पैतृक भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। वाद–पत्र में दर्ज तथ्य पक्षकारान द्वारा स्वीकृत तथ्य है। स्वीकृत तथ्यों को न माने जाने का कोई कारण नहीं है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय को राजीनामे के आधार पर प्रकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं हो रहा था तो तनकी कायम कर साक्ष्य

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 29.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)